Downloaded from SkillCouncils.com

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास),जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र.– 07751 220658 Email – actwd.gpm@gmail.com

क्र./3306A /EOI/कोचिंग/2025–26 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 27/03/2025

संक्षिप्त विज्ञप्ति

जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग क्लासेस हेतु पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण(वर्ष 2025–26)

जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं के लिए सी.जी.पी. एस.सी. एवं सी.जी. व्यापमं के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में "रूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Intrest) का ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है।

रूचि रखने वाली कोचिंग संस्था, "रूचि की अभिव्यक्ति" का नमूना शर्ते एवं कार्य क्षेत्र की जानकारी जिले की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। रूचि की अभिव्यक्ति के साथ आवेदन शुल्क रू. 5000/– का डी.डी. तथा रू. 50000/– का EMD कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा करना होगा।

01. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	– 28.03.2025
02. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	– 15.04.2025
03. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना पात्र संस्थाओं का तकनीकि मूल्यांकन	– 17.04.2025
04. समिति के समक्ष संस्थाओं का प्रस्तुतिकरण	– 21.04.2025
05. वित्तीय मूल्यांकन	– 23.04.2025

रूचि रखने वाले कोचिंग संस्थान/उनके अधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

(जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

जिला अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन " रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025–26)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के संदर्भ में)

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम आर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्रं. अंकित करें
1	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2	संस्था का पेन (PAN) छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3	(i) कोचिंग संस्था/फर्म का कोचिंग कार्यो का वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का औसत टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नही होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रकियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप उक्त 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2023–24 का ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख होगा। (ii) माह जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 का जमा किये गये जी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख) (iii) उक्त 03 वर्षो की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति।	
4	अमानत राशि के रूप में प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित राशि रू. 0.50 लाख का एफ.डी. आर. कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के पक्ष में हो, संलग्न करें।	
5	आवेदन शुल्क हेतु 5000/– जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।	
6	संघ/संयुक्त उद्यम वाले कोचिंग संस्था मान्य नहीं होगे।	
7	निविदा प्रकाशन दिनांक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग संस्था/फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्न EC-07 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
8	फैकल्टी का विवरण।	
9	विगत 03 वर्षो का परीक्षा परिणाम।	

संस्था प्रमुख का
हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी

(EC-1 से EC-7 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट– EC-1
कोचिंग संस्था का पंजीयन

परिशिष्ट – EC-2
जीवित PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट – EC-3
छ.ग. राज्य का जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट – EC-4
जीवित RETURN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट – EC-5
कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता .... का आडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग, द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग में संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
With seal
UDIN NO.

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

परिशिष्ट – EC-6
पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषण पत्र
(50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही द्वारा जारी "रूचि की अभिव्यक्ति" क्रमांक .... दिनांक .... के संबंध में हमारी फर्म/संस्था ....

पता .... की ओर से मैं ....

आत्मज .... पता .... उम्र........

आधार क्रमांक .... फर्म में हैसियत (पद) .... से अधिकृत होकर

नाम .... आत्मज .... पूरा पता ....

.... आधार क्रमांक........................ को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखो पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूं।

यह भी प्रमाणित करता हूं कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण में लिप्त नही है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

गवाह के हस्ताक्षर

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

परिशिष्ट – EC-7

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण –पत्र (Self Declaration)

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी .... पूरा पता .... की ओर से मैं .... (संचालक का नाम) आज दिनांक .... की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

तकनीकी मुल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-8 से EC-10 तक)

भाग–दो (द्वितीय लिफाफा)

परिशिष्ट – EC-8

संस्था का सामान्य परिचय–(पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम : ....
   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....
   : ....
   : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक : ....
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :–
   (अ) समिति/कम्पनी का नाम : ....
   (ब) समिति/कम्पनी के कार्यालय का पूर्ण पता : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....
4. (अ) समिति/कम्पनी किसी एक्ट के तहत पंजीकृत है (पूर्ण विवरण देंवे) : ....
   (ब) समिति/कम्पनी का एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक : ....
   (स) समिति/कम्पनी का वैद्यता दिनांक : ....
   (द) समिति/कम्पनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....
   (इ) समिति/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा दिनांक : ....
   (फ) समिति/कम्पनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर सहित : ....
   : ....
   : ....
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम : ....
   (अ) इन्चार्ज का नाम : ....
   (ब) शैक्षणिक अर्हता : ....
   (स) अनुभव : ....

संस्था प्रमुख का
हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

परिशिष्ट – EC-9

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।	
2	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों/स्टडी मटेरियल की एक–एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं किताबों/स्टडी मटेरियल की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)	
3	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक–एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)	
4	कोचिंग संस्था में राष्ट्रीय एवं राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में विगत 3 वर्षो में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची। (क) :– (तालिका नीचे) (ख) :– (तालिका नीचे) नोट :– वर्षवार पृथक–पृथक कॉलम में जानकारी देवें।	
5	कोचिंग संस्था के फैकल्टी का विवरण जिन्हे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा। (EOI में दिये गये फैकल्टी की अनुपस्थिति/छोड़ने की स्थिति में EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार Subtitute फैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में Subtitute फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह प्रति Subtitute फैकल्टी के मान से रूपये 10,000/– पैनालटी कटौती की जायेगी। फैकल्टी का Subtitution संबंधित विषय के लिए एक बार ही लागू होगी। एक बार से अधिक की Subtitution स्थिति में प्रति फैकल्टी रूपये 25,000/– पैनालटी कटौती की जायेगी) <u>दस्तावेज आधारित मूल्यांकन –</u> परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। विवरण (चेक लिस्ट सहित) (तालिका नीचे)	

(क) :–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष

(ख) :–

क्र.	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत

नोट :– वर्षवार पृथक–पृथक कॉलम में जानकारी देवें।

क्र.	विवरण	हॉं/नहीं
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर (न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के विवरण के आधार पर (विगत 03 वर्ष में कुल दर्ज छात्रों का न्यूनतम चयन 02 प्रतिशत)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार • शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता – स्नातक एवं PSC कोचिंग में अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव • शिक्षकों की संख्या न्यूनतम – 07 (सामान्य अध्ययन हेतु 04 शिक्षक, भाषा हिन्दी व अंग्रेजी हेतु पृथक–पृथक शिक्षक, सी सेट हेतु 01 शिक्षक)	शिक्षको की न्यूनतम योग्यताएवं संख्या अनिवार्य
4	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (न्यूनतम – 50.00 लाख रू.)	न्यूनतम अर्हता अनिवार्य

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता (स्नातक/स्नाकोत्तर/अन्य)	अनुभव	अध्यापन का विषय

एक या एक से अधिक बार स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा।

नोट :– कोचिंग देने वाले सभी शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची/डिग्री की कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षकों द्वारा संयुक्त सत्यापित (छायाप्रति) संलग्न किया जाये। तद्संबंध में परिशिष्ट EC-10प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के भाग–एक एवं भाग–दो में दर्शायी गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख/दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है।

3. मैं छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) वर्ष 2025 एवं "रूचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :– प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किये गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक/संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

जिला अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025–26)

परिशिष्ट – FB-1

तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के संदर्भ में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित					
		दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ईकाई लागत		दर प्रति 50 विद्यार्थियों तक प्रति वर्ष ईकाई लागत		दर प्रति 100 विद्यार्थियों तक प्रति वर्ष ईकाई लागत	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1	जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं हेतु जिला खनिज न्यास मद से निशुल्क छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) की कंडिका 5 में दर्शाये गये दायित्वों सहित						

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूं।

नोट :– राशि का भुगतान अनुबंध में निहित शर्तो के अनुसार किया जावेगा। जिसमें 75 प्रतिशत राशि 03 किस्तों में किया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 15 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
- उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगी।

विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पद मुद्रा सहित)

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

रूचि की अभिव्यक्ति

नियम एवं शर्तेः–

(1) **कोचिंग संस्था का चयन की विधि :–**

(i) राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु विभाग द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति " के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर कोचिंग संस्थाओं का इम्पैनलमेंट निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा –

1. अपर कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही – अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही – सदस्य
3. जिला कोषालय अधिकारी जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही – सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास – सदस्य/सचिव
5. श्री राहुल गौतम, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी – सदस्य

(ii) "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु फार्म एवं डाक्यूमेंट कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही द्वारा तैयार किया जायेग, इसमें निजी कोचिंग संस्थानों के लिए निम्नांकित मानकों का अवश्य उल्लेख होगा –

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था का पेन (PAN) एवं जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- विगत 03 वर्षो की आडिट रिपोर्ट।
- विगत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।
- फेकल्टी का विवरण।

इसके अतिरिक्त मानको का निर्धारण कलेक्टर जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जा सकेगा।

(iii) जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति के द्वारा प्राप्त किए गए निविदा में आवश्यक अभिलेख का परीक्षण किया जावेगा। समिति द्वारा प्राप्त निविदा के शर्तो के EOI द्वारा विस्तृत मापदंड अनुरूप निविदाकर्ता पूर्ण किया है अथवा नहीं, उसका परीक्षण किया जावेगा। निविदा में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में इसे निरस्त किया जावेगा।

(iv) **चयन की प्रक्रिया 03 स्तर पर होगी –**

दस्तावेज आधारित मूल्यांकन – परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। विवरण (चेक लिस्ट सहित)

क्र.	विवरण	हॉं/नहीं
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर (न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के विवरण के आधार पर (विगत 03 वर्ष में कुल दर्ज छात्रों का न्यूनतम चयन 02 प्रतिशत)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार • शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता – स्नातक एवं PSC कोचिंग में अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव • शिक्षकों की संख्या न्यूनतम – 07 (सामान्य अध्ययन हेतु 04 शिक्षक, भाषा हिन्दी व अंग्रेजी हेतु पृथक–पृथक शिक्षक, सी सेट हेतु 01 शिक्षक)	शिक्षको की न्यूनतम योग्यताएवं संख्या अनिवार्य
4	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (न्यूनतम – 50.00 लाख रू.)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य

1439 |

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

- **<u>प्रस्तुतीकरण (Presentation)</u>** – निविदाकर्ता के निविदा में प्रस्तुतीकरण (Presentation) का अंक 100 निर्धारित होगा। <u>समिति द्वारा दस्तावेज आधारित मूल्यांकन में सफल होने के पश्चात् प्रस्तुतीकरण के लिए EOI के चयनित निविदाकर्ता को आमंत्रित किया जावेगा।</u> प्रत्येक प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर समिति के समक्ष प्रदर्शित करना होगा। समिति के सदस्य संबंधित के EOI में दर्शित कोचिंग कार्यक्रम के प्रभावों का अवलोकन कर सकेंगे। **(चेक लिस्ट संलग्न)**
- **चेक लिस्ट में संलग्न बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।**
- <u>वित्तीय मूल्यांकन –</u> दस्तावेजों का आंकलन करने के पश्चात् तथा प्रस्तुतीकरण में प्राप्त अंको के आधार पर अहर्ता प्राप्त निविदाकर्ताओं की संख्या न्यूनतम 03 होने पर वित्तीय निविदा खोला जायेगा। **(चेक लिस्ट संलग्न)**

(v) समिति द्वारा निविदा के मूल्यांकन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम माना जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(vi) दस्तावेजों का मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर किया जावेगा।

(vii) दो या दो से अधिक आवेदकों को अंतिम मूल्यांकन में समान अंक मिलने पर न्यूनतम मूल्य अंकित करने वाले आवेदक को कार्य का आबंटन दिया जावेगा।

(viii) संयुक्त रूप से दिया गया प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

(ix) फैंचाइजी के द्वारा दिए गए आवेदन में प्राथमिक फेंचाइजर द्वारा सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है और अनुबंध फेंचाइजर के साथ निष्पादित किया जावेगा।

(x) वित्तीय निविदा निर्धारित प्रोफार्मा में जमा किया जावेगा।

(2) प्रशिक्षण स्थल – 1. बैच-I– स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मरवाही
2. बैच-II– विकास खण्ड पेण्ड्रा में चयनित स्थल

(3) <u>गोपनीयता :–</u>

- EOIs के खोलने के समय से लेकर चयन की घोषणा होने तक आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार से समिति से संपर्क नहीं करेगा और न ही EOI मूल्यांकन से संबंधित पूछताछ करेगा। EOIs के मूल्यांकन तथा अनुशंसाओं के बारे में आवेदनकर्ता जिसने EOIs जमा किया है तथा उससे संबंधित किसी अन्य कार्यालयीन व्यक्ति को नहीं बताया जावेगा, जब तक चयन की घोषणा का प्रकाशन न हो।
- आवेदनकर्ता अथवा संबंधित कोई अन्य व्यक्ति अनुचित तरीके से EOIs के मूल्यांकन अथवा अनुबंध के संबंध में विभाग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो उसके EOI को निरस्त कर दिया जावेगा।

(4) <u>कोचिंग संस्था को कार्य आबंटन :–</u>

चयनित कोचिंग संस्थाओं को प्रशिक्षण दिनांक से 01 वर्ष हेतु इम्पैनल्ड किया जायेगा। यदि इस अवधि में संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो संस्था का इम्पैनलमेंट समाप्त किया जा सकेगा एंव कोचिंग संस्था द्वारा बीच में प्रशिक्षण बंद कर देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि अनुपातिक रूप से वसूल की जा सकेगी।

(5) <u>कोचिंग संस्था का दायित्व :–</u>

- प्रवेशित अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार एंव छ0ग0 व्यापम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार परिणामोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना।

1440 |

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Dowmloaded from SkillCouncils.com

- प्रवेशित अभ्यर्थियों का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता से सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
- कोचिंग संस्था में अभ्यर्थियों के बौद्धिक विकास हेतु समय-समय पर मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- समय-समय पर विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन से कार्यालय/मुख्यालय को सूचित करना।
- समिति द्वारा कोचिंग कक्षा का समय-समय पर निरीक्षण एवं मुल्यांकन अधीकृत अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।
- कोचिंग संस्थान को पी.एस.सी. एवं व्यापम के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना होगा।
- समिति के समक्ष विषयवार शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है तथा प्रस्तुतीकरण देने वाले शिक्षक द्वारा ही अध्यापन का कार्य कराया जायेगा।
- कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना शिक्षकों को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर चयनित कोचिंग संस्था के द्वारा कराया जायेगा।

(6) राशि का भुगतान :-

1. कोचिंग संस्था को प्रस्तावित दर की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 03 किश्तों में किया जायेगा।शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है –
   a. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
   b. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
   c. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 15 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
   d. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 10 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।

   उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगा।

2. कोचिंग संस्था को उक्त राशि का भुगतान जिला खनिज न्यास मद से प्राप्त आबंटन द्वारा किया जायेगा।
3. कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान केन्द्र तथा राज्य शासन के नियमानुसार जीएसटी/टीडीएस/आयकर /उपकर की कटौती पश्चात् किया जाएगा।
4. विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

(जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com